

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)


No. AIDS/Estt./Misc(59)/2009/ 4785

Date : 17-12-09

आदेश

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा दिनांक : 28.01.09 को आयोजित की गई लिखित परीक्षा में चयन हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थियों को काउन्सलर के पद पर पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर रूपए 8,000/- प्रतिमाह फिक्स राशि पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31.03.2010 तक की अवधि के लिए लगाया जाता है, जिसके लिए उन्हें इस कार्यालय द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र (संलग्न) कार्यग्रहण करने के पश्चात् तीन दिवस की अवधि में निष्पादित करना अनिवार्य होगा :-

Sr. No.	Roll No.	Name of Applicant and Address	Place of Posting
01	89	Anju Bala Sharma W/o Anil Kumar Sharma VPO- Rashmi, Distt.- Chittorgarh	ICTC, CHC, Gangrar (Chittorgarh)
02	116	Santosh Parashar W/o Arun Parashar, 3/439 Malviya nagar, Jaipur	ICTC (P), Mahila Chikitsalaya, Sanganerigate, Jaipur
03	205	Santosh Kumar S/o Jagdish Prasad C-25, Hari Marg, Malviya Nagar, Jaipur	ICTC, PMO Y.N. Hospital, Kishangarh (Ajmer)
04	42	Rajendra Kumar Rawat S/o Jagdish Prasad Rawat V/P Talab, Teh.- Rajgarh, Distt.- Alwar- 301408	ICTC, CHC, Rajgarh (Alwar)
05	102	Neelam Shrivastava W/o Sh. Kailash Shrivastava, Ashirwad Villa, H.No.-174, Ward no.-45, Ambedkar Colony, Gulab bari, Ajmer-305001	ICTC, PMO, A. K. Hospital, Beawar
06	134	Sunita Choudhary D/o Moola Ram Choudhary, Behind Police Line, Jat Colony, Nagaur (Raj.)	ICTC, CHC, Chohattan (Barmer)
07	313	Neetu Choudhary W/o Mr. Shiv Ram Singh, P.N. 91, Green Avenue Colony, In Front of Heerapura, Power House, Gajsinghpura, Ajmer Road, Jaipur.	ICTC (P), R.N.T. Medical College, Udaipur
08	157	Manoj Kumar Gupta S/o Satya Narayan Gupta, C/O Rawat Bhawan, Near Ashoka Takies, Court Road, Alwar	ICTC (P), PMO, Distt. Hosp., Dungarpur
09	256	Nand Kishor, 14 Shivaji Nagar, Civil Line, Jaipur (Raj.)	ICTC, CHC-Semari (Udaipur)
10	274	Shyam Prakash Tailor S/o Sh. Chhitar Mal Tailor, Jain Bhavan Ke Pass, P.O. Toda Rai Singh, District-Tonk - 304505	ICTC (P), PMO, District Hospital, Bhilwara


परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, 9वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट एड्स-कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (बैसिक सर्विसोज) राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
5. प्रभारी, सेन्ट्रल सर्वर रूम को विभागीय वेब साइट पर प्रकाशित करने हेतु। *एम.ए. 170302*
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के पश्चात तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापन उपरान्त आपके रिपोर्ट में रखे एवं उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।
7. अधीक्षक, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के पश्चात तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापन उपरान्त आपके रिपोर्ट में रखे एवं उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के पश्चात तीन दिवस में निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापन उपरान्त आपके रिपोर्ट में रखे एवं उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (राज.) को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित होने वाले अनुबन्धित काउन्सलर के अनुबन्ध पत्र अपने रिकार्ड में रखें।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अर्थी के काउन्सलर के पद पर उपस्थिति देने के पश्चात तीन दिवस में सम्बन्धित अर्थी से निर्धारित अनुबन्ध पत्र (प्रति संलग्न) रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापन उपरान्त आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाते हुये उपस्थिति की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।
11. संबंधित अर्थी को प्रेषित कर लेख है कि आप दिनांक : 08-01-2010 तक अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, उक्त तिथि के पश्चात् कार्यग्रहण कराया जाना संभव नहीं होगा अर्थात् उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावे। उपस्थिति प्रस्तुत करने के पश्चात् संलग्न अनुबन्ध पत्र रूपर 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराकर सम्बन्धित अधिकारी को तीन दिवस में प्रस्तुत करें।
12. आदेश पत्रावली।


परियोजना निदेशक